| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/3570/2021/सीकर**<br>**शिम्भुदयाल बनाम मालीराम** | |
|---|---|---|

**एकल–पीठ**

**श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य**

**उपस्थितः–**

(1) श्री गिरीश पारीक, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक अप्रार्थी सं 1

**निर्णय** **दिनांकः 27मई, 2022**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर की अपील संख्या 111/2021 बउनवान मालीराम बनाम सुवालाल में पारित निर्णय दिनांक 05–12–2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला के समक्ष एक दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विवादित आराजीयात का प्रस्तुत किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 8 व 9 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत होकर जवाब दावा पेश किया तथा शेष प्रतिवादी बावजूद सम्यक् तामील हाजिर अदालत नहीं आये। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–10–2019 को वाद वादी खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री से क्षुब्ध होकर अपीलांट मालीराम ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसे दर्ज रजिस्टर कर कैवियटकर्ता को नोटिस जारी किये गये। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन पर योग्य अधिवक्तागण को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 5–12–2019 से विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय की क्रियान्विति आगामी तिथि तक स्थगित की जाती है एवं उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द कर दिया गया जिस निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी/निगराकार ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– निगरानी पर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/3570/2021/सीकर**<br>**शिम्भुदयाल बनाम मालीराम** | | |
|---|---|---|---|
| | हुए तर्क दिये कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय से स्थगन प्रार्थना पत्र को निर्णित करते हुए सम्पूर्ण आराजीयात बाबत् स्थगन आदेश पारित किया जाकर प्रार्थी को उसके निहित खातेदारी की आराजी से महरूम किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। विद्वान अपीलीय न्यायालय के द्वारा आक्षेपित निर्णय से अप्रार्थी सं0 1/वादी द्वारा प्रस्तुत अपील में बिना खातेदारान प्रार्थी व अन्य को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जहां प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में एकमात्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष गंगासहाय के निहित 1/6 हिस्से बाबत् चाहा गया है, सम्पूर्ण आराजीयात बाबत् स्थगन आदेश पारित किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। प्रार्थी जो कि वादग्रस्त आराजीयात में निहित खातेदारी की आराजीयात जिस बाबत् किसी प्रकार का अनुतोष अप्रार्थी सं0 1/वादी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध नहीं चाहा गया है, ना ही प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात से अप्रार्थी सं01/वादी का किसी प्रकार का सरोकार है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के विधिसम्मत रूप से पारित निर्णय व डिक्री में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात बाबत् स्थगन आदेश पारित कर प्रार्थी को उसके अधिकारों से महरूम किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नॉन स्पीकिंग, नॉन रीजन आदेश है। बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अगर निगरानी मैन्टेनेबिल नहीं है तो खण्डपीठ में भेज देवें। अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 5-12-2019 को प्रार्थी के निहित खातेदारी 1/6 हिस्से की हद तक निरस्त किया जावें।<br>5- प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क दिये कि दावा खारिज होने पर अपील के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र लगाया जिस पर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया। अतः उक्त आदेश की निगरानी नहीं होकर अपील होगी। निगरानी को अपील में ट्रीट नहीं किया जा सकता जबकि अपील को निगरानी में ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि निगरानी का स्कोप सीमित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी मियाद बाहर है, जिसे मियाद के बिन्दु पर ही खारिज करना चाहिए। अतः विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश उचित होने से प्रार्थी की निगरानी | | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/3570/2021/सीकर**<br>**शिम्भुदयाल बनाम मालीराम** | |
|---|---|---|

खारिज योग्य है।

6– सर्वप्रथम हम प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि महामारी के चलते राज्य में मार्च, 2020 से 10–06–2021 तक लॉक डाउन रहा, प्रार्थी को नोटिस तामील कराये बिना प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन सम्पूर्ण आराजीयात बाबत् पारित किया गया है। स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष भी नहीं चाहा गया है और ना ही पक्षकार सम्मिलित किया है। प्रार्थी गरीब काश्तकार व्यक्ति है जो स्वयं की आराजीयात पर काश्त कर अपना जीवनयापन कर रहा है। उक्त वर्णित कारण युक्तियुक्त एवं सद्भाविक है। निगरानी को प्रस्तुत करने में प्रार्थी ने कोई देरी नहीं की है, यदि विलम्ब को क्षम्य कर निगरानी का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी ने निगरानी जानबूझकर विलम्ब से प्रस्तुत की है तथा विलम्ब को क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र में कोई औचित्यपूर्ण कारण भी अंकित नहीं किये हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज करते हुए निगरानी को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किया जावें।

7– हमने विद्वान अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा महामारी के चलते मार्च 2020 को लॉक डाउन किये जाने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र में प्रार्थी के तथ्य एवं कारण उचित प्रतीत होने से निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8– इसके उपरान्त हमने योग्य अधिवक्तागण की गुणावगुण बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया गया।

9– विद्वान उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–10–2019 से वाद वादी खारिज किया गया है।

10– विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 5–12–2019 में विवादित भूमि को पैतृक माना है। संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता पैतृक सम्पति बेच सकता है। यह बिन्दु विचारण न्यायालय में विवेचित नहीं किया गया है अपितु प्रथम दृष्ट्या ही

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/3570/2021/सीकर**<br>**शिम्भुदयाल बनाम मालीराम** | |
|---|---|---|

क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर गलत रूप से निर्णय पारित कर दिया है। विवादित भूमि को खुर्द बुर्द होने से बचाने के लिए स्थगन दिया जाना आवश्यक है। अतः स्थगन आवेदन स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय की क्रियान्विति आगामी तिथि तक स्थगित रखी जाती है एवं उभयपक्ष विवादित भूमि की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

11– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला (सीकर) द्वारा दिनांक 31–10–2019 को दावा खारिज किया गया है।

जिसके विरूद्व प्रार्थी/निगराकार द्वारा विद्वान अपीलीय नयायालय में अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया है जिस पर विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 5–12–2019 के विरूद्व प्रार्थी द्वारा मण्डल में निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई है।

12– धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आदेशों की अपील का प्रावधान है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश की मण्डल में अपील होगी न कि निगरानी, जिससे प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी काबिले खारिज है।

13 अतः उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी अस्वीकार की जाती है। विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के आदेश दिनांक 05–12–2019 यथावत रखा जाता है। प्रार्थी/निगराकार मण्उल में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

14– पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(सुरेन्द्र माहेश्वरी)**

**सदस्य**